न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बक्सर

उपस्थित–श्री मनोज कुमार–1
प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय, बक्सर

गार्जियनशिप वाद संख्या– 08/2023

अमरनाथ मिश्रा पिता रामनाथ मिश्रा
ग्राम–बड़का गॉव मानसिंह पट्टी,
थाना–बक्सर (औ0), जिला–बक्सर।

बनाम

महेश दुबे पिता स्व0 केदार दुबे
पता क्वार्टर नं0 आर0 एन0 133–134 रोडबन्ध सिन्दरी,
थाना–सिन्दरी, जिला–धनबाद (झारखण्ड)

आदेश

12.02.2026 वाद पुकारा गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं एवं उभय पक्ष की बजरिये अधिवक्ता हाजिरी दी गई है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मामले में अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 12.08.2025 पर तथा उसके विरूद्ध प्रस्तुत की गयी आपत्ति दिनांकित 20.11.2025 तथा अपने–अपने समर्थन में उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित तर्क/बहस दिनांकित 06.01.2026 एवं 12.02.2026 पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी ने जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 का प्रस्तुत किया है उसमें मुख्य आधार यह लिया है कि वर्तमान जो कि गार्जियनशिप से संबंधित है और जिनमें जिन नाबालिगों के सन्दर्भ में गार्जियनशिप का निर्धारण किया जाना है वे क्वाटर नं0 आर0 एन0 133–134 रोडबान सिन्दरी, थाना–सिन्दरी, जिला–धनबाद (झारखण्ड) में रहते हैं और मामले में जिन चार बच्चों नाबालिग बच्चों के गार्जियनशिप का निर्धारण किया जाना है उन चार बच्चों में तीन का जन्म धनबाद में हुआ है जबकि एक का जन्म जिला बक्सर में हुआ है और सभी का भरण–पोषण धनबाद में हो में हो रहा है ऐसी स्थिति में वर्तमान गार्जियनशिप वाद में इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वर्तमान वाद इस आधार पर खारिज करने योग्य है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान गार्जियनशिप वाद 18.12.2023 को प्रस्तुत किया गया था जो कि 06.03.2024 को ग्रहण हुआ और विपक्षी को नोटिस न्यायालय द्वारा जारी की गई जिसमें विपक्षी 20.12.2024 को उपस्थित हुई और उनके द्वारा अपना डब्लू0 एस0 प्रस्तुत करने के लिये समयावेदन दिया गया और जब

गार्जियनशिप वाद संख्या– 08/2023

12.02.2026

लगातारः– दिनांक 07.04.2025 तक डब्लू0 एस0 नहीं दिया गया तो उनका डब्लू0 एस0 का अवसर समाप्त करते हुये वाद की कार्रवाई विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गई। मामले में दिनांक 16.06.2025 को वाद बिन्दु का गठन किया गया और दिनांक 16.06.2025 के आलोक में जब एकपक्षीय साक्ष्य आवेदक वादी द्वारा दिनांक 23.06.2025 को प्रस्तुत किया गया तो उसी दिन विपक्षी की ओर से आदेश दिनांकित 07.04.2025 को रिकॉल करने का प्रार्थनापत्र के साथ–साथ अपना जबावदावा भी प्रस्तुत किया गया जिसे मो0 500/–रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुये आदेश दिनांकित 07.04.2025 को वापस लिया गया और विपक्षी का डब्लू0 एस0 पत्रावली पर लिया गया। मामले में पुनः पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 24.07.2025 को वाद बिन्दु का गठन किया गया तत्पश्चात् दिनांक 31.07.2025 को वादी का साक्ष्य प्रारंभ हुआ और उसकी तरफ से प्रस्तुत किये गये साक्षी सं0 1 शिवजी मिश्रा की मुख्य परीक्षा द्वारा शपथ पत्र के आधार पर प्रतिपरीक्षण भी विपक्षी की ओर से किया गया और पक्षकारों की सहमति से प्रतिपरीक्षण अगली तिथि तक के लिए स्थगित किया गया और उसके पश्चात् अगली तिथि 12.08.2025 को मामले में वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 प्रस्तुत किया गया है जो कि बहुत विलंब से प्रस्तुत किया गया है मामला साक्ष्य के स्तर पर है और गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किया जाना न्यायोचित होगा। अतः विपक्षी द्वारा जो क्षेत्राधिकार के आधार पर ये जो प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 प्रस्तुत किया गया है वह पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परीशीलन किया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामला वर्ष 2023 में संस्थित किया गया था जिसमें विपक्षी द्वारा सहयोग न किये जाने के कारण मामला विलंबित चला आ रहा था और जब मामले में कार्रवाई एकपक्षीय होने लगी तब डब्लू0 एस0 प्रस्तुत किया गया एवं आदेश को रिकॉल कराया गया और जब वादी का साक्ष्य आया है और उससे प्रतिपरीक्षण भी शुरू किया जा चुका है उस स्तर पर क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठाते हुये वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 दिनांक 12.08.2025 को बहुत ही विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। विदित हो कि धारा 21 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार के बारे में आपेक्ष प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम

गार्जियनशिप वाद संख्या– 08/2023

12.02.2026

लगातारः– अवसर पर उन सभी मामलों में जिनमें विवादक स्थिर किये जाते हैं ऐसी स्थिरीकरण के समय या उसके पहले ना किया गया हो तो जब तक कि उसके परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता न हुई हो प्रस्तुत किया जाना चाहिये था तभी अनुगाद किया जा सकता था। वर्तमान मामले में नाबालिग बच्चे शुरू से ही विपक्षी नानी–नाना की संरक्षिता में थे। विदित हो कि वर्तमान वाद पिता अमरनाथ मिश्रा द्वारा अपने बच्चों के विरूद्ध संरक्षिता हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि उसकी पत्नी खुशबु देवी की मृत्यु दिनांक 03.06.2023 को हो गई थी और उसकी मृत्यु के पश्चात् विपक्षीगण को मृतिका के माता और पिता थे के निवेदन पर उनकी पुत्री के मृत्यु संस्कार तक उन्हीं के पास रहने की अनुमति दी गई थी तत्पश्चात् जब आवेदक के नाबालिग बच्चों को आवेदक को सौंपने से विपक्षीगण ने इन्कार किया है तब यह वर्तमान वाद इस न्यायालय के समक्ष उसी वाद हेतुक के आधार पर जैसा कि वाद पत्र के पारा नं0 16 में वर्णित है, प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को वर्तमान मामले में क्षेत्राधिकार प्राप्त है। मामले में साक्ष्य शुरू हो चुका है। अतः गुण–दोष के आधार पर मामला का न्यायिक निर्धारण किया जाना न्यायोचित होगा। तदानुसार आवेदन अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 दिनांकित 12.08.2025 पोषणीय न होने के कारण निस्स्त किया जाता है।

पत्रावली दिनांक 10.03.2026 को वास्ते शेष प्रतिपरीक्षण साक्षी सं0 1 शिवजी मिश्रा हेतु पेश हों।

(लेखापित व शुद्धिकृत)

ह0/–
(मनोज कुमार I)
प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, बक्सर।
दिनांक 12.02.2026